पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-26.08.2024

दिनांक 25/26.08.2024 को थाना गोमतीनगर 02, बन्थरा 01,सैरपुर 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना अलीगंज 01अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी-दिनांक 26.08.2024 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री जय प्रकाश पुत्र हरिशचन्द्र चौधरी निवासी सोमन्त नगर कल्यानपुर वेस्ट थाना गुडम्बा लखनऊ ने थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 24.08.2024 को समय करीब 11.30 बजे रात्रि को वादी अपने ऑफिस से मेदान्त हॉस्पिटल से थोडी दूर पर वॉशरुम करने के लिये रुका उसी समय तीन अज्ञात जिसमें एक महिला थी जो वादी से अनर्गल बातें करने लगे उसी बीच उनमें से एक व्यक्ति वादी की बाइक नम्बर यू0पी0 32 पी0पी0 0667 टी0वी0एस0 रोनिन ब्लैक को चोरी करके चला गया। जिसके उपरान्त वादी द्वारा 112 पर कॉल कर मौके पर पुलिस को सूचना दी गयी । **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 434/2024 धारा 303(2) का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना चिनहट- दिनांक 26.08.2024 थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री यादवेन्द्र पुत्र हीराकान्त निवासी ग्राम कौवाडिल पोस्ट समय थान भीटी थाना गोला जनपद गोरखपुर ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि वादी ने अपनी पुत्री वन्दना का विवाह श्रवण तिवारी पुत्र त्रिलोकी तिवारी ग्राम कमालपुर पिकार पोस्ट मुबारक पुर पिकार थाना राजे सुल्तान पुर जनपद अम्बडेकरनगर से की थी,जो इस समय लखनऊ में अपने निजी आवास आनन्द लोक कालोनी मटियारी ओवर के पास रहते है । वादी ने अपनी पुत्री वन्दना की जब से विदाई की है तभी से ससुराल पक्ष के लोग द्वारा वादी की पुत्री के साथ हमेशा मारपीट किया करते तथा मानसिक रुप से भी प्रताडित किया करते थे । कई बार मारपीट कर घर से बाहर भी निकाल चुके थे । कई बार तिलकधारी पुत्र सोनभद्र,रमावती पत्नी तिलकधारी व पति श्रवण तिवारी वादी व वादी के पुत्रों के सामने वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर चुके थे । वादी की पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग वादी व वादी के परिवार को भी जान से मारने की धमकी देते थे । दिनांक 24.08.2024 को दोपहर लगभग 12.00 बजे श्रवण तिवारी ने अपने मोबाइल नम्बर 9560413836 से वादी के बडे पुत्र प्रवीम को बताया कि तुम्हारी बहन वन्दना की मृत्यु हो गयी है । जिसकी सत्यता की जानकारी की तो श्रवण ने ही बताया कि कुछ बात हुयी जिस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे बहुत मारा पीटा जिससे वो गम्भीर अवस्था में घायल हो गयी और हम गुस्से में उसी अवस्था में छोड़कर ऑफिस चले गये । उसके बाद उन्होनें कहा कि चन्दन हास्पिटल आकर अपनी बहन की लाश ले जाओ । उसके बाद वादी आनन फानन में सपरिवार लखनऊ के लिए निकले,इसके पहले भी तिलकधारी ने योजना बनाकर रक्षाबन्धन के दिन भी मारा पीटा तथा कहा कि तुम्हारे मायके से कोई भी यहाँ आना नहीं चाहिये नहीं तो बहुत बुरा होगा । वादी की पुत्री ने अपनी माँ को बताया कि किसी भी भाई को यहाँ मत भेजना नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। दिनांक 24.08.2024 को ही श्रवण तिवारी पुत्र त्रिलोकी तिवारी,रमावती पत्नी तिलकधारी व स्वाती पत्नी कृष्ण कुमार (देवरानी) तथा परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर वादी की पुत्री वन्दना को जान से मार डाला । जिसकी सूचना वादी द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन नम्बर 1076 पर भी दी गयी है । **इस सूचना पर थाना चिनहट पर 397/2024 धारा 85/351(3)/103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना महानगर</u>- दिनांक 26.08.2024 थाना महानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री विजय पाल जायसवाल पुत्र रामआसरे जायसवाल निवासी कसरौला थाना तालगांव सीतापुर ने थाना महानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 25.08.2024 को वादी निशातगंज पुरानी गाडी का शोरुम में अब्दुल नाम के शख्स से मिला और टी0वी0एस0 गाडी के बारे में बात किया जो वादी को खरीदनी थी । उस आदमी ने कहा अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं फिर अब्दुल ने कहा मेरे पास एक आदमी है उसके पास गाडी है उस आदमी को अब्दुल ने बुलाया और कहा इनके साथ चले जाइये आप गाडी देखकर पसन्द कर लीजिए फिर वादी ने ऑटो में बैठा दूसरा व्यक्ति भी साथ में बैठा और थोडी ही दूर पर चलने के बाद वह आदमी ऑटो से उतर गया था उसके बाद वादी ने इधर उधर देखा तो आदमी चला गया था फिर वादी ने अपना पॉकेट चेक किया तो कट चुका था और सारे पैसे गायब थे। **इस सूचना पर थाना महानगर पर मु0अ0सं0 199/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना ठाकुरगंज-</u> दिनांक 26.08.2024 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि श्री इरफान पुत्र स्व0 इस्तियाक अहमद निवासी हबीबपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 25.08.2024 को समय करीब रात्रि 10.30 बजे उसके भाई रेहान उम्र करीब 28 वर्ष ने घर के अन्दर पंखे के रॉड से दुपट्टा का फंदा बनाकर फाँसी आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर उ0नि0 आदेश बालियान मो0नं0- 8750925633 थाना ठाकुरगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक रेहान उर्फ ईरान मजदूरी करता था । मृतक के एक पुत्र व एक पुत्री है ।

<u>थाना पारा-</u> दिनांक 26.08.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 लछिमन निवासी ग्राम पिपिया थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 26.08.2024 को समय करीब सुबह 11.00 बजे लोगो से जानकारी हुयी कि मुजफ्फर खेडा गाँव के पास एक आम के बाग में ईदगाह के पीछे एक लड़के ने आम के पेड़ पर फाँसी लगा ली है। मौके पर जाकर देखा तो वह लड़का आस-पास के गाँव का नहीं है। जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है। **इस सूचना पर उ0नि0 अमित कुमार मो0नं0- 9575674416 थाना पारा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक द्वारा दुपट्टे का फंदा बनाकर आम के पेड की डाल से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है । शव पर कोई जाहिरा चोट-निशान नही है। आस-पास के लोगो से पूछताछ कर शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है ।